न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 38/19 निर्णय दिनांकः–13-11-2024
(जीसीएमएस संख्या 2019/00214)

1. गंगाबिशन
2. मनीराम
3. बंशीलाल
4. अमरचन्द
5. मोहनी
6. लिछमा
7. शारदा

पिसरान नत्थूराम जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. रामकिशन पुत्र भागीरथ
2. मोहनलाल पुत्र भागीरथ
3. मनफूल पुत्र बोगाराम
4. भूपराम पुत्र बोगाराम
5. शंकरलाल पुत्र बोगाराम
6. गीता पत्नि हड़मानराम
7. मनोज पुत्र हड़मानराम
8. महेन्द्र पुत्र हड़मानराम
9. रविन्द्र पुत्र हड़मानराम
10. तुलछी देवी पत्नि नानूराम
11. मांगीलाल पुत्र नानूराम
12. गोरधनराम पुत्र नानूराम
13. बस्तुदेवी पुत्र नानूराम
14. शान्ति पुत्री नानूराम
15. शारदा पुत्री नानूराम
16. रामा पुत्री नानूराम

जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2019 व संशोधित डिक्री दिनांक 26–08–2019 उपखण्ड अधिकारी, नोखा

2. अपील संख्याः 39 / 19
(जीसीएमएस संख्या 2019 / 00225)

1. गंगाबिशन
2. मनीराम
3. बंशीलाल
4. अमरचन्द
5. मोहनी
6. लिछमा
7. शारदा

पिसरान नत्थूराम जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. रामकिशन पुत्र भागीरथ
2. मोहनलाल पुत्र भागीरथ
3. मनफूल पुत्र बोगाराम
4. भूपराम पुत्र बोगाराम
5. शंकरलाल पुत्र बोगाराम
6. गीता पत्नि हड़मानराम
7. मनोज पुत्र हड़मानराम
8. महेन्द्र पुत्र हड़मानराम
9. रविन्द्र पुत्र हड़मानराम
10. तुलछी देवी पत्नि नानूराम
11. मांगीलाल पुत्र नानूराम
12. गोरधनराम पुत्र नानूराम
13. बस्तुदेवी पुत्र नानूराम
14. शान्ति पुत्री नानूराम
15. शारदा पुत्री नानूराम
16. रामा पुत्री नानूराम

जाति बिश्नोई निवासी माडिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 26–08–2019 व
संशोधित डिकी दिनांक 29–07–2019
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिकी दिनांक 21–02–2019 व 26–08–2019 व संशोधित डिकी दिनांक 29–07–2019 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व विभाजन की डिकी पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम घट्टू के खेत खसरा नम्बर 710 रकबा 4.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 2.50 हेक्टर कुल रकबा 7.04 हेक्टर व ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 871 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 3.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 877 रकबा 3.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 1322 रकबा 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 1328 रकबा 1.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.24 हेक्टर कुल रकबा 11.27 हेक्टर व इसी प्रकार ग्राम माडिया के खेत खसरा नम्बर 46 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 2.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 2.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 5.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 2.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 1.7 हेक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 2.59 हेक्टर,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खसरा नम्बर 404 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 रकबा 2.19 हेक्टर कुल रकबा 16.94 हेक्टर भूमि अपीलांटान एव रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वजों के समय से संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है, संयुक्त कब्जा काश्त एवं संयुक्त राजस्व रेकॉर्ड खातेदारी चली आ रही है कोई बाहमी विभाजन नही हो रखा है। उक्त वादगत भूमि में अपीलांट्स के पिता का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 9 का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ता 16 का 1/4 हक व हिस्सा निहित है। सभी रिकॉडेड खातेदार संयुक्त खातेदार होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा द्वारा गलत बयान करते हुए अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर ना तो कोई विधिवत तामिल करवाई गई नाही कोई नोटिस दिया गया सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर कि गई।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि इसी वादगत भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता भागीरथ ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा वर्ष 1983 में पेश किया गया था जोकि दिनांक 30–05–1998 को डिक्री किया गया जिसमें दोनों ग्रामों ग्राम माडियाा एवं घट्टू की भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस किया जाकर प्रथक–प्रथक खाता विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा उक्त विभाजन के समय सभी पक्षकारान् के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी करवाये गये थे। परन्तु उक्त विधिवत विभाजन के 22 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा पूर्ववर्ती तथ्यों को छिपाते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री प्राप्त किया गया है। प्रकरण में अन्य तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने कार्यवाही वादी एवं प्रतिवादीगण फौत हो चुके थे, परन्तु उनके विधिक वारिसान को पक्षकार स्थापित किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। इस प्रकार आक्षेपित निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित होने से नलिटी की श्रेणी में आता है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन कर कहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन के प्राथमिक डिक्री जारी करते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए बाय मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया उक्त प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित हुए बिना एवं समस्त पक्षकारों की उपस्थिति के बिना तैयार करवाये है। जबकि इस संबंध में विधि में स्पष्ट प्रावधान निहित है कि विभाजन के मामलों में संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थित में प्रस्ताव तैयार करें तथा किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश की जाती है तो प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उक्त आपित्त का निस्तारण किया जाये। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दि गई एवं जो प्रस्ताव तैयार किये गये थे वो तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये जाकर संबंधित पटवारी द्वारा ही तैयार किये गये है जो कि स्पस्ट रूप से नियम 1 18 से 21 अवहेलना को दर्शाता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करते समय व तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए संयुक्त खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा मौके की जॉच किये बिना ही वादी के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किये गये है व तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर काऊण्टर साईन किये गये है। उक्त प्रस्ताव पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित है, जबकि अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। **विभाजन के मामलों में सर्वप्रथम यह देखा जाना होता है कि** विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के प्रतिपादित सिद्वान्त अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है अथवा नहीं?

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग–अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जॉच की कोई फर्द ही बनाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स 1 को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मौक पर आये व कथन किया उक्त भूमि का विभाजन हमारे द्वारा करवा लिया गया है। तब जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ विकल्प को माफ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जॉच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 475, आरआरडी 2017 पेज 473, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 258, आरआरटी 2009 पार्ट II पेज 841, आरआरटी 2022 पार्ट I पेज 135, आरआरडी 1992 पेज 124 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेट संख्या 1 के पिता द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम घट्टू के खेत खसरा नम्बर 710 रकबा 4.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 2.50 हेक्टर कुल रकबा 7.04 हेक्टर व ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 871 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 3.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 877 रकबा 3.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 1322 रकबा 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 1328 रकबा 1.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.24 हेक्टर कुल रकबा 11. 27 हेक्टर व ग्राम माडिया के खेत खसरा नम्बर 46 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 2.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 2.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 5.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 2.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 1.7 हेक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 2.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 रकबा 2.19 हेक्टर कुल रकबा 16.94 हेक्टर भूमि के बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्टस अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/ हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किये गये थे एवं उनके उपस्थित नही आने पर अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालन पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–02–2019 व 26–08–2019 के विरूद्व स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन दिनांक 21–02–2019 व 26–08–2019 के विरूद्व अपील दिनांक 24–09–2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नही करते हुए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कथन है कि अपीलांट्स को विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये गये थे व उनके उपस्थित नही आने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहाँ मियाद के बिन्दु अर्थात मियाद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम घट्टू के खेत खसरा नम्बर 710 रकबा 4.54 हेक्टर, खसरा नम्बर 712 रकबा 2.50 हेक्टर कुल रकबा 7.04 हेक्टर व ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 871 रकबा 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 872 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 876 रकबा 3.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 877 रकबा 3.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 1322 रकबा 0.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 1328 रकबा 1.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.24 हेक्टर कुल रकबा 11. 27 हेक्टर व ग्राम माडिया के खेत खसरा नम्बर 46 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 2.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 2.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 5.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 रकबा 2.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 356 रकबा 1.7 हेक्टर, खसरा नम्बर 357 रकबा 2.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 रकबा 2.19 हेक्टर कुल रकबा 16.94 हेक्टर भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिकी व कालान्तर में विभाजन की अंतिम डिकी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौके व कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत जाकर विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि विभाजन के मामलों में विधि का यह सर्वमान्य प्रावधान है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जावे। इस संबंध में विभाजन के नियम 18 से 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित किये गये है। जोकि निम्न प्रकार हैः—

<u>नियम 18 — जोत के विभाजन के लिए करार फाइल करना</u> — एक जोत के विभाजन तथा लगाने के कारण का सह अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। तहसीलदार द्वारा उस करार की शर्तो के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुतार जोत के विभाजन को प्रभावी करेगा।

<u>नियम 19 — करार के आधार पर डिक्रीत वाद में जोत का विभाजन —</u> यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सहअभिधारी किसी करार पर आते है तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिक्रीत किया जावेगा।

<u>नियम 20 — सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन —</u> नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम

न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गये वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वो बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालना किया जावेगा।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपाति होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहाँ तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जायेगी।

(घ) जहाँ तक संभव है, विद्यमान खेतों के टुकड़ें नहीं किये जायेंगे।
(ड़) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

<u>करार द्वारा या न्यायालय के आदेश द्वारा जोत का विभाजन</u>

<u>नियम 21 – नक्शा बनाना और उप–विभाजित खेतों का अंकन करना –</u> तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गा भू–खण्ड अलग अलग रंगों में दिखाया जावेगा और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

उक्त प्रावधनों के अनुसार सभी पक्षकारों के धारण की भूमि/कब्जे काश्त की भूमि/अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी भूमि/रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किये जाने के प्रावधान विधि द्वारा स्थापित किये गये है। उक्त प्रावधान की पालना आज्ञापक है। प्रस्तुत मामलें में हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है। उक्त नजरी नक्शा तैयार करते समय संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित नहीं आकर पटवारी द्वारा नजरी नक्शें तैयार करना व उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काऊण्टर साईन) अंकित किया जाना स्पष्ट रूप से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

परिलक्षित होता है। जोकि विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्णरूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शें पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति अथवा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये व अपीलांट्स व अन्य पक्षकारान् की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से जोत विभाजन के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2017 पेज 473 में अभिलिखित किया गया है कि:– Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules – Rr 18 to 21 – Reference – Preparation of proposal for division by the Tehsildar is whether mandatory and/or he may delegate the powers – Held – Provision of Rr. 18 to 21 are mandatory and Tehsildar himself inspect the site and prepare the proposal for division of holdings. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2019 पेज 281 में अभिलिखित किया गया है कि:– Rajasthan Tenancy Act, Section 224 – Trial Court passed a final decree in a suit of division of holding – First appeal against this order was set aside – Second appeal before Board – Held – Issue for decision is whether it is mandatory for the Tehsildar to visit site and prepare partition proposals himself – Section 53 (2) of RTA provides two modes of divison – (1) By agreement between co-tenant and – (2) By decree of the Court for which Rule 18 to 21 of 1955 provides the modus operandi- Larger bench of the Board has clarified that Tehsildar may entrust the ministrial work of preparation of map and filling of colours

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

etc. to his subordinates. But it is imperative for Tehsildar to prepare partition proposal/report under his own seal and signature – Courts below could not appreciate this legal position and committed patent illegality – Case remanded with directions.

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों जिनमें इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन के मामलों में संबंधित तहसीलदार स्वयं को मौके पर उपस्थित आकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है। जिसका अभाव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा एवं विभाजन के प्रस्ताव से जाहिर होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना एवं न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश व डिक्री दिनांक 21—02—2019व संशोधित डिक्री दिनांक 29—07—2019 व डिक्री दिनांक 26—08—2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

गंगाबिशन आदि बनाम रामकिशन आदि
अपील संख्या 39/19

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
मुवर्खे 21–02–2019 व संशोधित डिक्री
दिनांक 29–07–2019

यह अपील ब–तारीख 13–11–2024 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील रिमाण्ड की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2019 व संशोधित डिक्री दिनांक 26–08–2019 निरस्त किये गये।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग ....–.........) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....–.............. अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 13 माह नवम्बर सन् 2024 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील............			1. स्टाम्प वकालतनामा..............		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत्			4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		